न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 02/2019 (निगरानी)

जीसीएमएस नं0 2019/00138

मांगीलाल उर्फ मोईनुद्दीन पुत्र सुबराती निवासी ग्राम खैराबाद तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0

–निगराकार

बनाम

1. मोहम्मद सकलेन जेदी पुत्र मजहर हुसैन जाति मुसलमान निवासी 770/डी 1 वार्ड नं0 30 गुरूद्वारे के सामने, उटी रोड़ शास्त्री नगर मेरठ (यू.पी.)
2. ग्राम पंचायत खैराबाद जरिये सरपंच

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम बाबत निरस्त किये जाने पट्टा दिनांक 21.7.1998 ग्राम पंचायत खैराबाद

उपस्थित :–

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक निगराकार
2. श्री मोहम्मद कलीम, अभिभाषक गैर निगराकार

निर्णय

दिनांक 27.10.2021

1. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खैराबाद में वर्ष दिनांक 21.7.1998 को गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 से फर्जी एवं कूटरचित पट्टा जारी करवाया गया जिसकी शिकायत निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के कार्यालय पर प्रस्तुत की गई जिस पर विकास अधिकारी द्वारा आदेशानुसार वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें गैर निगराकार संख्या 2 एवं सदस्य द्वारा मौका मय निरीक्षण उक्त निगराकार परिवार सहित निवास करना पाया गया है । उक्त भूखण्ड की पैमायश पूरब से पश्चिम 44 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 35 फीट है इसके विपरीत गैर निगराकार संख्या 1 के नाम से जारी किये गये पट्टे की पैमायश करने की जगह नहीं है और उक्त पट्टे पर दिशाओं का गलत आंकलन किया गया है । उत्तर से दक्षिण मौके पर रास्ता 18-5 फीट मौजूद है । रास्ता एवं मकान की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 52 फीट की है जिसका पट्टा पूर्व में जारी किया हुआ है जो गलत है । वैधानिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता । इस प्रकार ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड सदस्य द्वारा मौका रिपोर्ट एवं मौके के अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 अर्थात दिनांक 21.7.1998 को जारी किये गये पट्टे को मौका अनुसार गलत पाया गया है । इसलिये निरस्त होने योग्य है । जिला कलक्टर कोटा के पत्र कमांक/सतर्कता/ 2019/2755 के संदर्भ में जारी किया गया जिसके गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.7.1998 को अपने पत्र में जारी करवाये गये पट्टे को निरस्त किये जाने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत आलेखित किया गया था । दिनांक 12.4.2019 को कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद के

क्रमांक / पंचायत / 19–20 / 2341 दिनांक 12.4.2019 को पत्र जारी किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से मद संख्या 2 में अंलेखित किया गया है । ग्राम पंचायत खैराबाद की मौका रिपोर्ट दिनांक 9.3.2015 से पट्टा गलत पाया गया है । इसलिये निगराकार माननीय न्यायालय में पट्टा दिनांक 21.7.1998 को निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत कर रहा है ।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार की तलबी की गई । गैर निगराकार की ओर से श्री मोहम्मद कलीम अभिभाषक उपस्थित । वकील गैर निगराकार नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 अन्तर्गत धारा 10 व 11 जाप्ता दीवानी का पेश किया गया, जिसका जवाब वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत किया गया । वकील गैर निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते रिकार्ड पर लिये जाने निर्णय (दस्तावेज) बाबत पेश किया, प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रतियां होने से तथा निर्णय में सहायक सिद्व होंगी इस आधार पर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 11 की एवं अन्तिम बहस उपस्थित उभयपक्ष की सुनी गई ।

3. विद्वान वकील निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 के जवाब एवं बहस मे कथन किया है कि गैर निगराकार द्वारा धारा 10 व 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निगराकार के विरूद्व प्रस्तुत किया है । उक्त पट्टे निरस्तीकरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में पूर्व में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं रही है और न ही कोई निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में पारित किया गया है । इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । वैधानिक प्रावधानों के अनुसार धारा 10 व 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र केवल सिविल न्यायालय में संस्थित वाद में ही प्रावधान लागू होते है अन्य कानून के अन्तर्गत अन्य प्रकृति की कार्यवाहियों में यह लागू नहीं होता है, इसलिये भी उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । उक्त प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज होने योग्य है । वकील निगराकार द्वारा अपनी अन्तिम बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत खैराबाद में वर्ष दिनांक 21.7.1998 को गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 से फर्जी एवं कूटरचित पट्टा जारी करवाया गया जिसकी शिकायत निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 के कार्यालय पर प्रस्तुत की गई जिस पर विकास अधिकारी द्वारा आदेशानुसार वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें गैर निगराकार संख्या 2 एवं सदस्य द्वारा मौका मय निरीक्षण में उक्त निगराकार परिवार सहित निवास करना पाया गया है । उक्त भूखण्ड की पैमायश पूरब से पश्चिम 44 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 35 फीट है इसके विपरीत गैर निगराकार संया 1 के नाम से जारी किये गये पट्टे की पैमायश करने की जगह नहीं है और उक्त पट्टे पर दिशाओं का गलत आंकलन किया गया है । उत्तर से दक्षिण मौके पर रास्ता 18-5 फीट मौजूद है । रास्ता एवं मकान की लम्बाई उत्तर से दक्षिण 52 फीट की है जिसका पट्टा पूर्व में जारी किया हुआ है जो गलत है । वैधानिक प्रावधानों के अनुसार रास्ते की भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता । इस प्रकार ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड सदस्य द्वारा मौका रिपोर्ट एवं मौके के अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 अर्थात दिनांक 21.7.1998 को जारी किये गये पट्टे को मौका अनुसार गलत पाया गया है । इसलिये निरस्त होने योग्य है ।

4. वकील गैर निगराकार नं0 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि निगराकार द्वार उक्त निगरानी समस्त तथ्यों को छिपाकर तथा पूर्व में पक्षकारान में लम्बित

प्रकरण का निस्तारण होने संबंधी तथ्यों को छिपाकर उसे निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होते हुये निगरानी पेश की है जो कि हर प्रकार से मेन्टेनेबल नहीं है । उसके अधिकार उक्त ग्राम पंचायत के पट्टे से कैसे प्रभावित हुये नहीं बताया है ना ही धारा 96 जाप्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । निगराकार मांगीलाल गैर निकराकार का किरायेदार है तथा वह गैर निगराकार के मकान में बहैसियत किरायेदार निवास करता था । गैर निगराकार द्वारा निगराकार के विरूद्व एक वाद सं 9/2007 सिविल न्यायाधीश क0ख0 रामगंजमण्डी में मांगीलाल ख्वाजा के विरूद्व पेश किया गया था जिसमें वादीगण के कथनों को सही मानते हुये वादीगण गैर निगराकार का वाद दिनांक 20.2.2013 को डिक्री किया गया है उक्त वाद में निगराकार के कथनों को असत्य माना गया है । उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व निगराकार द्वारा अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी में अपील पेश की जिसका अपील संख्या 3/2013 है को दिनांक 1.2.2019 को अपील खारिज की गई है । इस प्रकार दौनों दीवानी न्यायालय ने जो कथन उक्त निगरानी में निगराकार कर के आया है वह अब अमान्य हो गये है जब सिविल कोर्ट से उक्त संबंध में निस्तारण हो चुका है तथा निगराकार को गैर निगराकार का किरायेदार माना जा चुका है । यदि निगराकार के कोई राईट बनते थे तो उक्त निर्णय के विरूद्व उसे सक्षम उच्च न्यायालय में अपील रिट आदि करना चाहिये था जो उसके द्वारा नहीं की गई है । निगराकार के विरूद्व सक्षम न्यायालय सिविल न्यायाधीश रामगंजमण्डी में इजराय बेदखली व किराया वसूली की कार्यवाही चल रही है । जिससे बचने के लिये उसने यह निगरानी पेश की है जो किसी प्रकार से मेन्टेनेबल नहीं है । अतः निगरानी स्वतः ही खारिज होने योग्य है । निगरानी में वर्णित तथ्यों का निस्तारण हो चुका है तो सिविल न्यायालय के विरूद्व कोई बात कहने से निगराकार स्टोप्ड है तथा पूर्व न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से खारिज होने योग्य है ।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर गुणावगुण के आधार पर गहनता से विचार करने पर यह पाते है कि निगराकार द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा दिनांक 27.07.1998 को जारी पट्टा पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा गलत एवं अवैध माना जाने से पेश की गई हैं । गैर निगराकार नं0 2 ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा भी अपने जवाब में गैर निगराकार नं0 1 के पक्ष में तात्कालिन सरपंच द्वारा जारी पट्टा गलत बताया जाकर निगरानी स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है । गैर निगराकार नं0 1 द्वारा प्रस्तुत माननीय सिविल न्यायाल (क0ख0 रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 20.2.2013 अनुसार निगराकार को गैर निगराकार नं0 1 का किरायेदार माना जाकर बकाया किराये का भुगतान करने एवं मकान खाली करने के आदेश दिये गये, जिसकी अपील निगराकार द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, रामगंजमण्डी में पेश की गई जहां से भी निर्णय दिनांक 1.2.2019 से निगराकार मांगीलाल की अपील खारिज की जाकर सिविल न्यायाधीश रामगंजमण्डी द्वारा मूल दीवानी प्रकरण संख्या 9/2007 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 20.2.2013 की पुष्टि की गई है । वकील गैर निगराकार नं0 1 के कथनों से हम सहमत है कि इस निगरानी में निगराकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस निगरानी को प्रस्तुत करने से उसका क्या हित है तथा विवादित पट्टे के सम्बन्ध में प्रभावित पक्षकार होने बाबत धारा 96 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । निगराकार का कथन है कि पट्टे के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में

कोई कार्यवाही लम्बित नहीं रही ओर ना ही निर्णय माननीय न्यायालय ने पारित किया है । इस बाबत वकील गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 20.2.2013 में जैर निगरानी पट्टे का क्षैत्रफल 1768 व0फी0 का जिक्र माननीय न्यायालय के निर्णय में किया गया है । ऐसी स्थिति में हम यह नहीं मान सकते कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.2.2013 विवादग्रस्त पट्टा भूमि से सम्बन्धित नहीं है । अतः जब माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निगराकार को मात्र किरायेदार माना गया है तथा दावा निगराकार के विरूद्व निर्णित हुआ है तथा माननीय अपर जिला न्यायालय रामगंजमण्डी में प्रस्तुत अपील भी खारिज हो जाने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त किया जाना हम उचित नहीं मानते है । गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 अन्तर्गत धारा 10 व 11 स्वीकार किया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निकरानी पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में वादग्रस्त पट्टा मकान के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय क0ख0 रामगंजमण्डी द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है, तथा निगराकार प्रभावित पक्षकार नहीं होने से एवं निगरानी स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

27/10/21

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा